87.88 हेक्टेयर में होगा डिफेंस कारिडोर का दूसरा फेज

2.67 हेक्टेयर भूमि की दरें होंगी पुनर्निर्धारित, संशोधित दरों का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए यूपीडा को भेजा

- कोल के जसरथपुर व जलूपुर सिहौर के 87.88 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दूसरा चरण प्रस्तावित
- जिला प्रशासन ने इन दोनों गांवों की 78 हेक्टेयर से अधिक भूमि की पूरी कर ली है खरीद

100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित हो चुका है पहले चरण में कारिडोर

25 भूखंडों आवंटित किए गए जिनमें से पांच पर फैक्ट्री शुरू हो चुकी हैं

03 फैक्ट्री का निर्माण लगभग पूरा है, अन्य पर काम चल रहा है

87.88 हेक्टेयर भूमि पर दूसरे चरण में कारिडोर होना है विकसित

2018 में हुई थी स्थापना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके लिए अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर नगर व लखनऊ को चयनित किया गया था। अलीगढ़ में कारिडोर का काम सबसे पहले शुरू हुआ।

खैर रोड स्थित अडला में डिफेंस कारिडोर परिसर में बना खड़ा ओवरहैड टैंक ● जागरण आर्काइव

सौ हेक्टेयर में है पहला फेज

पहले चरण में कारिडोर खैर तहसील के अडला गांव में सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि पर स्थापित किया गया है। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माण कार्य की नींव रखी थी। अब तक 25 निवेशकों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें पांच इकाइयों ने रक्षा उत्पादों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके है। तीन फैक्ट्री लगभग तैयार हैं।

इस तरह हो रहा दरों में संशोधन

जानकारों के अनुसार प्रशासन के स्तर से सात गाटों की दरों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। इनमें छह गाटों की दरें 65 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर की जा रही है। एक गाटे में पहले 1.25 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर की जगह 65 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा निर्धारित किया गया था। राजस्व विभाग के स्तर पर हुई इस चूक को अब सुधारा गया है।

डिफेंस कारिडोर के दूसरे चरण में अधिकतर भूमि की खरीद हो चुकी है। शेष भी ले ली जाएगी। सात गाटाओं की दरों में संशोधन हुआ है।

पंकज कुमार, एडीएम प्रशासन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : जिले के लिए अच्छी खबर है। डिफेंस कारिडोर के दूसरे चरण की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इसका काम इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। अगले वर्ष निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए भूमि के मुआवजे की बाधा अब समाप्त हो गई है। कोल तहसील के जसरथपुर गांव की 2.67 हेक्टेयर भूमि की दरों का पुनर्निर्धारण कर मुआवजा वितरित किया जाएगा। किसानों की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन ने पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संशोधित दरों का प्रस्ताव यूपीडा को भेजा है। यूपीडा से मुहर लगते ही मुआवजा वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद विकास कार्य शुरू हो जाएंगे।

कारिडोर के दूसरे चरण के लिए जीटी रोड स्थित गांव जसरथपुर व जुलूपुर सिहौर में 87.88 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई थी। इसमें 6.85 हेक्टेयर सरकारी व 81.03 हेक्टेयर निजी है। प्रशासन ने किसानों से सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे पर तय की। अब तक 78 हेक्टेयर भूमि यूपीडा के नाम दर्ज हो चुकी है। शेष भूमि की खरीद की प्रक्रिया जारी है। जसरथपुर गांव की सात गाटों में 2.67 हेक्टेयर भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। किसानों ने पूर्व निर्धारित दरों को अनुपयुक्त बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इस पर प्रशासन ने दरों के पुनर्निर्धारण का निर्णय लिया। मुआवजा वितरण के बाद विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार 65 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इस राशि से कारिडोर के दूसरे चरण का काम होना है। सड़क, नाली, बिजली, पानी व सीवेज के कार्य कराए जाने हैं।